चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/5078
दिनांक : 11.01.2023

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
एन0सी0पी0ई0 कालेज ऑफ लॉ,
गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 26.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित **बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)** पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को संस्थान में **प्राचार्य** पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1- Dr. Manoj Kumar Gupta	Principal	LLM, M. Phil, NET, Ph.D.	Prof. Anjali Mittal Meerut College, Meerut Prof. N.C. Lohani CCSU, Meerut Prof. Y. Singh CCSU, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार संस्थान में उपरोक्त अभ्यर्थी को **प्राचार्य** पद पर शासन/यू0जी0सी/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति अधिवर्षता आयू पूर्ण किये जाने तक, यथावत रहेगी। प्राचार्य के शिक्षण गुणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाया जाना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थी की सेवा असन्तोषजनक होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत् रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगें। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

वरिष्ठ सहायक (सम्बद्धता)

CK4 (363)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/5181
दिनांक : 21/01/2023

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
एन0सी0पी0ई0 कालेज ऑफ लॉ,
गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 31.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name	**Design**	**Qualification**	**Univ. Expert**
1-Shivam Singh	Asst. Prof.	LLM, NET	Prof. Anjali Mittal Meerut College, Meerut Dr. Reema Agarwal MMH College, GZB
2- Ms. Rimjhim Singh	Asst. Prof.	M.A. (Eco.) NET	-------- do ----------
3- Mr. Sanny Giri	Asst. Prof.	M.A. (Socio.) NET	-------- do ----------
4- Mr. Gopalam Gupta	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------
5- Mr. Paresh Mangesh Shahane	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------
6- Mr. Gulsher Ali	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------
7- Ms. Bharti	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)** पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत् रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

CK4 (370)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/5181
दिनांक : 21/01/2023

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
एन0सी0पी0ई0 कालेज ऑफ लॉ,
गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 31.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

S.N. Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-Shivam Singh	Asst. Prof.	LLM, NET	Prof. Anjali Mittal, Meerut College, Meerut; Dr. Reema Agarwal, MMH College, GZB
2- Ms. Rimjhim Singh	Asst. Prof.	M.A. (Eco.) NET	-------- do ----------
3- Mr. Sanny Giri	Asst. Prof.	M.A. (Socio.) NET	-------- do ----------
4- Mr. Gopalam Gupta	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------
5- Mr. Paresh Mangesh Shahane	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------
6- Mr. Gulsher Ali	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------
7- Ms. Bharti	Asst. Prof.	LLM, NET	-------- do ----------

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित **बी0ए0एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)** पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को **असिस्टेंट प्रोफेसर** पद पर शासन/यू0जी0सी0/नियामक संस्था के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन रहने तक उपरोक्त शिक्षकों की सेवाये संतोषजनक रहने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवता का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चयनित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र की दशा में विलम्बतम 15 दिवसों में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए तुरन्त चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत् रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी अभिलेख विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के 10 दिवसों में उपलब्ध कराये जाएगे। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

कार्या0 अधीक्षक (सम्बद्धता)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1813
दिनांक : 14.8.2015

सेवा में,

चेयरमैन,
एन0सी0पी0ई0 कालेज ऑफ लॉ,
दादरी (गौतमबुद्ध नगर)।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 12.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित **एल–एल0बी0 (पांच वर्षीय)** पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :–

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr.Madan Pal Singh	Principal	LL.B., LL.M., Ph.D. (Law 01)	Dr.Y.P.Singh NREC College, Khurja Dr.Rajendra Kumar SSV College, Hapur Dr.M.P.S.Tomar D.N.College, Dulavati
2-	Dr.Vatsla Sharma	Lecturer	M.A.(Pol.Sci.)., LL.B., LL.M., M.Phil. (Law 10), Ph.D.(Law 14)	Dr.Y.P.Singh NREC College, Khurja Dr.Pankaj Tyagi MMH College, GZB
3-	Ms.Radha Gosai	Lecturer	LL.B., LL.M	——do——
4-	Dr.Naresh Kumar	Lecturer	M.A.(Pol.Sci.).,M.Phil. (Pol.Scil.) Ph.D. (Pol.Sci.03)	——do——
5-	Dr.Shailendra Bhusan Sharma	Lecturer	M.A.(Eco.).,LL.B.,Ph.D.(Eco.02)	——do——
6-	Mrs.Asha Rani	Lecturer	M.A.(Hist.)., M.Phil. (Hist.03) NET (Hist.06)	——do——
7-	Ms.Sandhya Singh	Lecturer	M.A.(Hindi).,NET (Hindi 13)	——do——
8-	Mr.I.S.Srivastava	Lecturer	M.A.(Edu./Socio.)., B.Ed	——do——
9-	Ms.Vaishali Rajput	Lecturer	M.A.(Eng.)	——do——

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को बी0सी0आई0 के मानकानुसार प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

13.8.15

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

D : Dhan&2 (17)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.50

पाँच हजार

RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 243678

I

लीज डीड (पट्टा विलेख)

स्टाम्प अंकन 7,200/- रूपये

महावीरा प्यूपील्स एजुकेशन सोसायटी, 23 बख्तावरपुर (टाण्डा) दिल्ली-110036 द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त निवासी मकान नं0-23, बख्तावरपुर, टाण्डा, दिल्ली-36। (प्रथम पक्ष)

बहक

एन0सी0पी0ई0 कालिज ऑफ लॉ, जवाहर नवोदय विद्यालय रोड़, धमूमानिकपुर, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त निवासी मकान नं0-23, बख्तावरपुर, टाण्डा, दिल्ली-36 (द्वितीय पक्ष)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 037940

विदित हो कि मैं प्रथम पक्ष ग्राम धमूमानिकपुर, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर में खसरा नम्बर-445 रकबा 0.3887 हैक्टेयर पर निर्मित भवन जिसमें पाँच कमरे, एक वाचनालय, एक स्टाफ रूम, एक मिटिंग हॉल, एक कार्यालय व चार शौचालय पुरूष व चार शौचालय महिला निर्मित है जिसका प्रथम मालिक व काबिज है। जिसको प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को कालिज चलाने हेतु 30 (तीस) वर्ष के लिए निम्न शर्तो पर लीज (पट्टा) पर दिया है।

1- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि व भवन को लॉ कालिज चलाने हेतु 30 (तीस) वर्ष के लिए प्रथम पक्ष से पट्टे पर ले रहा है। जिसकी अवधि आज दिनांक 23-01-2010 से प्रारम्भ होकर दिनांक 22-01-2040 तक रहेगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 037941

2- यह कि उपरोक्त भूमि व भवन का किराया 5,000/- रूपये (पाँच हजार रूपये) प्रति माह द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा।

3- यह कि द्वितीय पक्ष अपना लॉ कालिज चलाने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त भूमि व भवन पर कोई परिवर्तन या निर्माण करा सकता है।

4- यह कि उक्त निर्माण में होने वाले खर्च को द्वितीय पक्ष ही वहन करेगा। प्रथम पक्ष से उस खर्च का कोई लेना-देना नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AE 042111

5- यह कि पट्टे की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को पट्टे पर नहीं देगा।

6- यह कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्ष आपसी सहमति से नया विलेख द्वारा पट्टा अवधि को बढ़ा सकेंगे।

7- यह कि पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रथम पक्ष अपनी आवश्यकतानुसार भूमि व भवन को खाली कराना चाहेगा तो उसे तीन माह पूर्व द्वितीय पक्ष को नोटिस देना होगा। बिना नोटिस के पट्टा अवधि समाप्त नहीं की जा सकेगी। और यदि द्वितीय पक्ष अवधि से पूर्व भूमि या भवन खाली करेगा तो उसे एक माह पूर्व द्वितीय पक्ष को नोटिस देना अनिवार्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

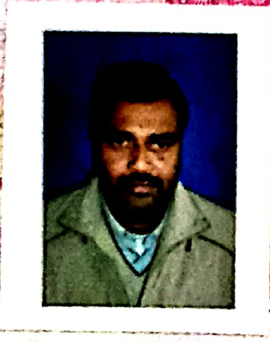

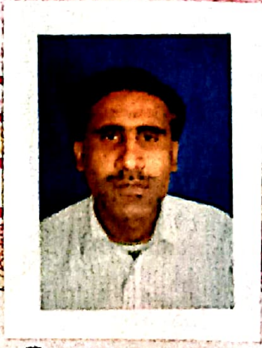

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 042112

5

अतः यह पट्टा विलेख पत्र हम पक्षकारों ने आज दिनांक 23-01-2010 को खूब सोच समझकर, बिना किसी जोर दबाव व स्वस्थ चित्त की दशा में समक्ष गवाहान लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

गवाह -1 राजकुमार पुत्र धर्मनारायण सिंह
नि० ग्राम चूहड़माणिकपुर तह० दादरी

गवाह -2 सुबोध पुत्र बाबूराम तिवारी
ग्राम मामूरा सैक्टर-66 नोएडा
जनपद गौ० बु० नगर
सुबोध

तारीख 23-01-2010 ई0 मसौदा [illegible] भाटी एडवोकेट, दादरी।

एडवोकेट
प्रवीण कुमार नागर
पंजीकरण सं०